<u>न्यायालय :– सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।</u>

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–1379/2025

(CNR N0 01017028-2025)

अश्वनी शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा निवासी मकान न0–3/1941, बेरीबाग, रीवर बैंक कालोनी, निकट अजन्ता नमकीन वाली फैक्ट्री थाना जनकपुरी सहारनपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ता (फौ0) सहारनपुर।

2. अतुल शर्मा पुत्र नाथीराम शर्मा निवासी एफ0–1 हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

.....विपक्षीगण।

<u>राष्ट्रीय लोक अदालत</u>

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 4ग अन्तर्गत धारा–5 भ0परिसीमाअधिनियम</u>

<u>14.03.2025</u>

पत्रावली आज लोक अदालत में निस्तारण हेत पेश हुई।

उपरोक्त वर्णित प्रार्थना–पत्र आवेदक/निगरानीकर्तागण की ओर से अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने विलम्ब संस्थित करने निगरानी निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है

प्रार्थनापत्र में अभिकथन किया गया है कि :–

अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं0–2206/2025 अतुल शर्मा बनाम अश्विनी शर्मा में पारित आदेश दिनांक 05.09.2025 की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा विपक्षी स0–2 से सम्पर्क कर सुलहनामा की बात की गयी तथा पक्षकारो के मध्य यह तय हुआ कि विपक्षी सं0–2 परिवाद की कार्यवाही नहीं चलायेगा और आपस में मामले का निपटारा कर लिया जायेगा परन्तु निगरानी अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी विपक्षी सं0–2 द्वारा समझौता न करने पर, आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी योजित की गयी है। आवेदक द्वारा निगरानी योजित करने में जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। उपरोक्त आधार पर निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी हे। प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा स्वॅय का शपथ पत्र कागज सं0–5बी प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी सं0–2 के विरूद्ध नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षी सं0–1 विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 के द्वारा प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी सं0–2 अतुल शर्मा द्वारा आवेदक के विरूद्ध योजित परिवाद सं0–2206/2025 अतुल शर्मा बनाम अश्विनी शर्मा में पारित आदेश दिनांक 05.09.2025 जिसके माध्यम से आवेदक/निगरानीकर्ता को उक्त परिवाद में विचारण हेतु तलब किया गया है की जानकारी आवेदक/निगरानीकर्ता होने पर उसके द्वारा विपक्षी सं0–2 से सुलह हेतु सम्पर्क किया गया परन्तु विपक्षी सं0–2 द्वारा निगरानी योजित करने की समय सीमा के उपरान्त, समझौता करने से इन्कार करने पर यह निगरानी योजित की गयी है।

कार्यालय आख्या के अनुसार प्रस्तावित दाण्डिक निगरानी मियाद अवधि के उपरान्त **21 दिन** के विलम्ब से योजित की गयी है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र में प्रस्तावित निगरानी संस्थित करने में हुए विलम्ब का कारण पक्षकारो के मध्य सुलहवार्ता जारी रहना

अभिकथित किया है। विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गयी है।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में निर्णय विधि **सैनिक सिक्यूरिटी प्रति शीला बाई 2008(78) ए.एल.आर. पेज–302, स्टेट ऑफ नागालैण्ड प्रति ए0ओ0लिपाक 2005 (52) ए.सी.सी. पेज–788 तथा पूनम एवं अन्य प्रति हरीश कुमार व अन्य 2011(4) ए.सी.सी.डी पेज–2125** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–5 भारतीय परिसीमा अधि0 के अन्तग्रत विलम्ब को क्षमा किये जाने के प्रश्न पर अवधारणा करते समय न्यायालय को कठोर, तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अपितु व्यावहारिक परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तकनीकी न्याय पर वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो तथा वर्णित विधि व्यवस्था के आलोक में तथा मामले के गुण दोष के आधार पर निस्तारण के लिए आवेदक का प्रार्थनापत्र 4ग अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

4ग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम तदनुसार अंकन–500/रू0(पॉच सौ रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तावित निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। हर्जा अन्दर दस दिन के अन्दर जमा किया जाये। तदोपरान्त प्रस्तावित निगरानी, अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 02.04.2026 को पेश हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा नियत अवधि के अन्दर हर्जा जमा नहीं किया जाता है, तो आदेश स्वमेव निष्प्रभावी हो जायेगा।

दिनांक 14.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।
I.D. UP-1891